बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(ज़नगणना कोषांग)
अधिसूचना

संचिका संख्या– ज़नगणना कोषांग (अधिसूचना)–12/02–2025............../रा0, दिनांक–..................

केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना कार्य संपादित किया जाना अधिसूचित किया गया है और भारत की जनगणना–2027 के सफल, समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ किया जाना अपेक्षित हैं।

जनगणना नियमावली, 1990 के नियम–8 (vi) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत करती है।

सभी संबंधित विभागाध्यक्षों/अधिकारियों पर प्रतिबंध अधिरोपित कियां जाता है कि भारत की जनगणना, 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों/प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण प्रधान/जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नही की जा सकेगी। यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्ति की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के
आदेश से,

ह0/–
(सी0के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ई–मेल

संचिका संख्या– जनगणना कोषांग (अधिसूचना)–12/02–2025...44 अ०...../रा0, दिनांक–24/2/2026

प्रतिलिपि– राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना भवन, 2–ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011/निदेशक, जनगणना कार्य/निदेशक, नागरिक निबंधन, बिहार, 8वॉ तल सी0–जी0 ब्लॉक कर्पूरी सदन, आशियाना–दीघा रोड, पटना–800025/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी/सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

(सी0के0 अनिल)
प्रधान सचिव।